न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2024 (GCMS 2024/17)
(आईटीआई पोर्टल नं. 212056291498212)

राकेश कुमार पुत्र गजानन्द जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 05, गांव गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 97285-37883)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राकेश कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2023 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने आज दिनांक तक अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, सूचना समय पर उपलब्ध न कराने के कारण 250/-रूपये प्रति दिन विलम्ब शुल्क लगाकर प्रार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2023 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

> निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को दैनिक जनसुनवाई में प्रकरण संख्या 113 दिनांक 08.09.2023 प्रस्तुत किया गया। जिसकी रिपोर्ट के अनुसार सहायक विकास अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में वार्ड नं. 5, गांव गणेशगढ़ में प्रार्थी विजय सिंह ढुंढाडा पुत्र हाकमराम द्वारा जिस जगह चौकी का निर्माण किया गया है वह जगह ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की सीमा में है, बताया गया है, जबकि प्रार्थी की जानकारी के अनुसार

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विजय सिंह के मकान व चोकी की जगह का पट्टा जारी नहीं हुआ है। अतः विजय सिंह पुत्र हाकमराम के मकान के पट्टे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./ /2024/128 दिनांक 28.02.2024 अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.12.2023 द्वारा चाही गई सूचना श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 743 दिनांक 13.12.2023 द्वारा श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को लिख दिया गया था, जिसकी प्रति पत्रांक 744 दिनांक 13.2.2023 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा पेश किया जाना है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक ईजीएस/आईईसी/सूचना का अधिकार/23–24/422 दिनांक 19.03.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी राकेश कुमार निवासी गणेशगढ़ ने जिला कलक्टर कार्यालय में सूचना के अधिकार अन्तर्गत जिला कलक्टर कार्यालय में पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र पर आदिनांक तक कोई कार्यवाही ना करने को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 26.03.2024 नियत है।

प्रार्थी राकेश कुमार का प्रार्थना—पत्र इस कार्यालय में अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक आरटीआई/124/2023/743 दिनांक 13.12.2023 को जारी दिनांक 15.12.2023 को प्राप्त हुआ। प्रकरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण पत्रांक ईजीएस/आईईसी/सू.का.अधि./23—24/329—30 दिनांक 18.12.2023 के जरिये अधिनियम के प्रावधानुसार धारा 6(3) अन्तर्गत विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हस्तांतरित करते हुए जरिये डाक प्रार्थी को अवगत करवाया जा चुका है। प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

चूंकि **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा** अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक ईजीएस/आईईसी/सू.का.अधि./23—24/329—30 दिनांक 18.12.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि उनके

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर से होने के कारण उन्होनें ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को** विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु** विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर